

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/बैंक/CIRC-02/2019-20
09 दिसम्बर, 2019



<<सभी पात्र बैंक>>

महोदय/महोदया,

वार्षिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र
पुनर्वित्त परिपत्र सं. 02/2019-20

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) वैयक्तिकों को दिये जाने वाले आवास ऋणों के संबंध में बैंकों (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / लघू वित्त बैंक) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। रा.आ.बैंक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न तथा मध्यम आय वाले परिवारों की आवास ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋणदाताओं को समर्थन और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न पुनर्वित्त योजनाएं परिचालित कर रहा है। बैंक वैयक्तिक आवास ऋण खातों की सूची प्रस्तुत करते हैं, जो विभिन्न योजनाओं के तहत रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करते समय रा.आ.बैंक को चिह्नित / उद्यिष्ट की जाती हैं और उक्त संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार होना चाहिये।

2. बैंकों से संबंधित पुनर्वित्त पोर्टफोलियो की समीक्षा करने पर, रा.आ.बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त के एवज में रा.आ.बैंक को बैंकों द्वारा चिह्नित / उद्यिष्ट ऋणों की निगरानी सुदृढ करने के लिए कुछ प्रावधान किये गये हैं:-

2.1 रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने वाले बैंक एवं जिन बैंकों का वर्तमान में पुनर्वित्त बकाया भी है, वे इस बात की पुष्टि करते हुए वार्षिक आधार (प्रत्येक वर्ष, 31 मार्च) पर लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि पुनर्वित्त के एवज में रा.आ.बैंक को चिह्नित / उद्यिष्ट ऋणों को बैंक के बहियों में अलग से रखा जाता है और उक्त किसी भी अधिभार से मुक्त हैं और / अथवा उन्हें प्रतिभूतिकृत / बेचा नहीं जाता है / गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 2 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

2.1.क. लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र में यह भी कवर करेगा कि चिह्नित / उद्यिष्ट आवास ऋण पर्याप्त हैं और यह राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित योजनाओं के तहत ऋण अनुबंध वार पुनर्वित्त बकाया को पूरी तरह से कवर करता है।

2.1.ख. लेखा परीक्षक (शेष राशि का विवरण प्रमाणपत्र हेतु अनुलग्नक I में उल्लिखित है) द्वारा अवलोकन की गयी शेष राशि (अर्थात् बैंक के बही में चिह्नित ऋण खाता बकाया प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक ऋण अनुबंध-वार पुनर्वित्त से कम है) के मामले में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक वर्ष 31 मई तक रा.आ.बैंक को शेष राशि विप्रेषित करें।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने के लिये चिह्नित / उद्यिष्ट ऋण खातों की सूची प्रस्तुत करते समय, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 16(ख) के तहत प्रावधान तथा इसके अंतर्गत निर्दिष्ट अपने दायित्वों को स्वीकार कर घोषणा सह वचनपत्र (नये सिरे से स्थापित) प्रदान करें। घोषणा सह वचनपत्र अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर रा.आ.बैंक द्वारा जारी सभी परिपत्र (परिपत्रों) / दिशानिर्देश (दिशानिर्देशों) का पूरी तरह से पालन करें।

भवदीय,

(के. चक्रवर्ती)

महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन विभाग

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फ़ैक्स : 011-2464 9030
वेबसाइट : www.nhb.org.in ई-मेल : ho@nhb.org.in

Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

“बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है”

NHB-SCB/RRB/UCB/SFB-03
Annual Auditor's Certificate
(to be submitted within 2 months of the end of the financial year)

As on 31st March, 20__

Name of Bank:

We hereby certify that:

- (i) (Name of Bank) has availed refinance assistance from National Housing Bank and the outstanding of which as on 31st March, 20__ was Rs. _____
- (ii) The loan accounts flagged/earmarked to NHB against Refinance availed are distinctly identified in the books of the Bank and the same are free of any charge and/or have not been securitized/sold.
- (iii) (Name of Bank) has earmarked adequate amount of housing loans to fully cover the respective outstanding refinance against each loan contract under respective schemes from National Housing Bank. The details of the outstanding of flagged / earmarked housing loans against the loan contract wise refinance outstanding as on 31st March, 20__ is enclosed as Annexure I.
- (iv) There is a shortfall amounting to Rs. _____ crore in the flagged loan outstanding against the Refinance outstanding as detailed in Annexure I.
- (v) The loan accounts flagged/earmarked to NHB for which refinance has been availed under different schemes conform to the criteria prescribed under the respective schemes.

For (Name of Bank)

(Signature of the Auditor of the Bank)

Name of the Auditor:

Firm Registration No.:

Partnership No.:

Date:

Place:



A. Details of the outstanding of flagged /earmarked housing loans against the loan contract wise refinance outstanding as on 31st March, 20__

(in Rs. crore)

No.	Refinance Account No.	Refinance Scheme	Refinance Outstanding as on 31 st March, 20__	Aggregate of outstanding housing loans in the books of the Bank as on 31 st March, 20__	(Shortfall)/ Positive Balance
			(A)	(B)	(C=B-A)
1	XXXX	LRS	100	90	-10
2	XXXX	AHF	80	90	10
3	XXXX	UHF	70	65	-5
Total shortfall to be remitted to NHB					15
<p>Note: The shortfall to be remitted to NHB is the summation of only the shortfall arrived at in each Refinance Account in the above table. However, the positive balance (if any) has been not considered. <i>**The above mentioned figures are only for illustration.</i></p>					

B. Details of earmarked/flagged housing loans against each Refinance account

(in Rs. crore)

No	Refinance Account No.	Refinance Scheme	Branch of the Bank	Constituent Account No.	Name & Address of Constituent	Address of Property	Date of Mortgage/ Pledge	Loan outstanding as on 31 st March, 20__



DECLARATION CUM UNDERTAKING*(to be submitted along with the claim form seeking disbursement)*

To,

NATIONAL HOUSING BANK
 Core 5A, India Habitat Centre,
 Lodhi Road,
 New Delhi-110003

Dear Sir,

In consideration of your having granted and agreed to grant to _____ *(Name of the Bank)* financial assistance by way of refinance towards the housing loans granted by the Bank to its constituents, We, _____ *(Name of the Bank)* do hereby undertake to you as under:

- (i) The loan accounts flagged/earmarked to NHB against Refinance to be availed are distinctly identified in the books of the Bank and the same are free of any charge and/or have not been securitized/sold.
- (ii) The earmarked/flagged loan accounts are adequate and fully cover the amount claimed under refinance from National Housing Bank.
- (iii) The loan accounts flagged/earmarked to NHB for which refinance is to be availed under different schemes conform to the criteria prescribed under the respective schemes.
- (iv) Auditor's Certificate as stipulated by NHB shall be submitted on an annual basis within the stipulated timelines.
- (v) Acknowledge the provision under Section 16(B) and other provisions of National Housing Bank Act, 1987 and their obligations specified thereunder.

Yours faithfully,

(Signature of the Authorized signatory of the Bank)

Name: _____

Designation: _____

Place: _____

Date: _____

Seal:

